	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 30, मंगलवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 22, *2024* *Asvina 30, Tuesday, Saka 1946- October 22, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2024

जी.एस.आर.67 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999, को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:-

''(ख) ''**बोर्ड'' से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;**''।

3. नियम 21 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:-

''**21. आवेदन आंमत्रित करना.-** सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन बोर्ड द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जायें, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद का वेतन मैट्रिक्स मैट्रिक्स में लेवल, परिवीक्षा की कालावधि के सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय बोर्ड, यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 100 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना, चयन से पूर्व प्राप्त हो जाये, तो ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।"

4**. नियम 22 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों **के** विद्यमान नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''**22 आवेदन का प्ररूप.**- आवेदन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जायेगा और उसे बोर्ड से ऐसी फीस का संदाय करके, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा।"

5**. नियम 23 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 23 में विद्यमान अभिव्यक्ति "नियुक्ति प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति ''**बोर्ड**'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

6**. नियम 24 का प्रतिस्थापन.**- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''**24 बोर्ड की सिफारिशें.**- (1) बोर्ड ऐसे अभ्यर्थियों की, जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुए हो, प्रवर्गवार योग्यता सूची तैयार करेगा और इस प्रकार तैयार की गयी सूची को नियुक्ति के लिए सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग को अग्रेषित करेगा:

परन्तु बोर्ड अंतिम रूप से सूचित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, विभिन्न प्रवर्गो के अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची तैयार कर सकेगा और रख सकेगा। अध्यपेक्षा किये जाने पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यता क्रम में से सिफारिश उस तारीख से जिसको मूल सूची बोर्ड द्वारा सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग को अग्रेषित की जाती है के छह मास के भीतर-भीतर नियुक्ति के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग को की जा सकेगी।

(2) अभ्यर्थियों के नाम बोर्ड द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर, योग्यता क्रम में अपनी-अपनी सूची में व्यवस्थित किये जायेंगे।

(3) बोर्ड इन नियमों के अधीन और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के उपबंधों के अधीन भी, पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कर सकेगा। कोई अभ्यर्थी, सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग में और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) क्षेत्र के अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्तियों के लिए आवेदन करने का हकदार होगा जिसके लिए एक आवेदन होगा और अभ्यर्थी सचिवालय या अधीनस्थ कार्यालयों या राजस्थान लोक सेवा आयोग या, यथास्थिति, जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) क्षेत्र के कार्यालयों में नियुक्ति के लिए अपने विकल्प का उल्लेख आवेदन पत्र में करेगा।

(4) बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेगा, इन सूचियों में से, प्रशासनिक सुधार विभाग, अभ्यर्थियों को अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियों, पिछडे वर्गों, अति पिछडे वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार किसी अन्य प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों के अनुसार ''कम्प्यूट्रीकृत यादृच्छिकीकरण रीति'' के आधार पर विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों को आवंटित करेगा। किसी भी परिस्थिति में विभाग परिवर्तन हेतु कोई भी निवेदन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण न करने या अन्य किसी कारण से उत्पन्न रिक्तियों को केवल आरक्षित सूची में के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, कोई नियुक्ति करने से पूर्व ऐसी जांच करके, जो आवश्यक समझी जाये, अपना यह समाधान करेगा कि ऐसा अभ्यर्थी पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से अन्यथा पात्र और उपयुक्त है। नियुक्ति प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अभ्यर्थियों को उन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा केवल ''इन –पर्सन काउंसलिंग मेथड'' के माध्यम से ही इस प्रकार आवंटित किसी जिले में पदस्थापन हेतु जिला/किसी जिले का स्थान आवंटित करें। काउंसलिंग के प्रथम दौर में बैचमार्क निर्योग्यता/ विधवा/विच्छिन–विवाह महिला/ एकल महिला/किसी शहीद का आश्रित/भूतपूर्व सैनिक /उत्कृष्ट खिलाड़ी व्यक्ति प्रवर्ग में के अभ्यर्थियों और पति-पत्नी होने कारण के स्वयं अभ्यर्थियों को जिला या, यथास्थिति, किसी जिले में पदस्थापन का स्थान आबंटित किया जायेगा। शेष अभ्यर्थियों को सरकार

द्वारा इस संबध में समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए योग्यताक्रम में, जिला या यथास्थिति, किसी जिलें में पदस्थापन का स्थान आबंटित किया जा सकेगा।

7. नियम 25 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 25 में, विद्यमान अभिव्यक्ति **'समिति'** के स्थान पर अभिव्यक्ति ''**बोर्ड**'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-**I में**,

(**i**) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-**

'' किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या इसकी समतुल्य परीक्षा ।'' ; और

(**ii**) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-**

''किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या इसकी समतुल्य परीक्षा ।''

9. अनुसूची-II का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-II के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-**

''अनुसूची –II

प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्कीम और पाठ्य विवरण

परीक्षा की स्कीम: प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होगा और अंक इनके सामने दर्शाये गये अनुसार होंगे, **अर्थात्:-**

प्रश्न पत्र	**समयावधि**	**अंक**
सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित	**2 घंटे**	**200**

स्पष्टीकरण:

1 प्रश्नपत्र का स्तर राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा स्तर का होगा। परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण और विस्तार बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जायेगा और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से जो बोर्ड उचित समझे सूचित किया जा सकेगा।

2 प्रश्नपत्र बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।

3 परीक्षा में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उनके योग्यता क्रम अवधारित करने हेतु संगणित किये जायेंगे।''

[सं. एफ.3(2) डीओपी/ ए-II/2021पार्ट1-20475]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 17 2024

G.S.R.67 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Class IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Class IV Service (Recruitment and other Service Conditions) (IInd Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 2.- The existing clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Class IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 1999, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(b) "Board" means the Rajasthan Staff Selection Board;".

3. Substitution of rule 21.- The existing rule 21 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"21. **Inviting of applications**.- Application for direct recruitment to posts in the service, shall be invited by the Board by advertising the vacancies to be filled in the Official Gazette or in such other manner as it deem fit. The advertisement shall contain a clause that a candidate who accepts the assignment on the post being offered to his/her shall be paid monthly fixed remuneration at the rate fixed by the State Government, from time to time, during the period of probation and the Level in pay matrix of the post as shown else-where in the advertisement shall be allowed only from the date of successful completion of the period of probation:

Provided that while selecting candidates for the vacancies so advertised, the Board may, if intimation of additional requirement not exceeding 100% of the advertised vacancies is received by it before selection, also select suitable persons to meet such additional requirement."

4. Substitution of rule 22.- The existing rule 22 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"22. **Form of Application**.- The application shall be made in the form as approved by the Board and obtainable from the Board on payment of such fee, if any, as may be fixed by the Board, from time to time."

5. Amendment of rule 23.- In rule 23 of the said rules, for the existing expression "Appointing Authority", the expression "Board" shall be substituted.

6. Substitution of rule 24.- The existing rule 24 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**24. Recommendations of the Board.-** (1) The Board shall prepare category wise merit list of the candidates declared successful in the written examination and forward the lists so prepared to the Government in Administrative Reforms Department for appointment:

Provided that the Board may prepare and keep reserve lists of candidates belonging to various categories to the extent of 50% of the finally intimated vacancies. The names of such candidates may, on receipt of requisition within six months from the date on which the original list is forwarded by the

Board to the Government in Administrative Reforms Department for appointment, be recommend in order of merit to the Administrative Reforms Department for appointment.

(2) The names of the candidates shall be arranged in the order of merit respective list on the basis of marks obtained by them in the written examination conducted by the Board.

(3) The Board may hold the examination for direct recruitment to the posts under these rules and also under the provisions of the Rajasthan Scheduled Areas Subordinate, Ministerial and Class-IV Service (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 2014. A candidate would be entitled to apply for the vacancies in the Secretariat, Subordinate Offices as well as in the Rajasthan Public Service Commission and in Subordinate Offices of the Tribal Sub Plan (TSP) Area for which there shall be one application and the candidate shall mention his/her choice for appointment in the Secretariat or Subordinate offices or the Rajasthan Public Service Commission or in offices of the Tribal Sub Plan (TSP) Area, as the case may be, in the application form.

(4) The Board shall send lists of selected candidates to the Government in Administrative Reforms Department, out of these lists, Administrative Reforms Department shall allot candidates to various Appointing Authorities on the basis of a 'Computerised Randomisation Method' in accordance with the vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections and any other category as per the reservation policy of the Government. Request for change of Department shall not be allowed in any circumstances. Vacancies arising due to non-joining of a candidate or for any other reasons may be filled by candidates from the reserve list only. The Appointing Authority before making an appointment shall satisfy itself by making such enquiry as may be considered necessary that such candidate is otherwise eligible and suitable in all respect for appointment to the post. It shall be the responsibility of the Appointing Authority to allot District/Place of posting in a district to the candidates, so allotted to him/her by the Administrative Reforms Department, through an "In-person Counseling Method" only. In the first round of counseling candidates belonging to persons with benchmark disability/ Widow/ Divorced woman/ Single woman/ dependent of a Martyred/ Ex-Servicemen/ Outstanding Sports Person category and candidates themselves being a husband and wife shall be allotted district/ place of posting in a district, as the case may be. Rest of the candidates may be allotted district/ place of posting in a district, as the case may be, in order of merit keeping in view the instructions issued in this regard by the Government, from time to time."

7. Amendment of rule 25.- In rule 25 of the said rules, for the existing expression "committee", the expression "Board" shall be substituted.

8. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the said rules,-

(i) the existing entries in column number 4 against serial number 3 shall be substituted by the following, namely:-

"Secondary from a recognised Board or its equivalent examination."; and

(ii) the existing entries in column number 4 against serial number 4 shall be substituted by the following, namely:-

"Secondary from a recognised Board or its equivalent examination."

9. **Substitution of Schedule-II.-** The existing Schedule-II appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE-II

SCHEME AND SYLLABUS FOR THE COMPETITIVE EXAMINATION

SCHEME OF EXAMINATION: The competitive examination shall include the following paper and shall carry the number of marks as shown against it, namely:-

PAPER	DURATION	MARKS
General Hindi, English, General Knowledge and Mathematics.	2 Hours	200

Explanation:

1. The standard of the paper will be that of the Secondary Examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan. The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Board, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Board may deem fit.
2. The paper will be objective type.
3. The marks obtained by a candidate in examination will be counted for determining their order of merit.

[No. F. 3(2) DOP/A II/2021Pt. 1-20475]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.